FIVE RUPEES FIVE RUPEES

रेस्टोरेशन
विविध प्र.क्र. /04

मानननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर, बैठक इन्दौर

झमू बाई --- आवेदक/अपीलार्थी
निवासी धार (म.प्र.)

Resto 1434-I/2004

विरुद्ध

शासन -- अनावेदक/प्रत्यर्थी

श्री सचिन यादव अभिभाषक द्वारा आज दि. 29.10.04 को इन्दौर कैम्प पर पेश किया

आवेदन-पत्र: दिनांक 24.9.2004 को अनुपस्थिति में निरस्त हुये प्रकरण को रिकार्ड पर लिये जाने बाबद ।

अपीलार्थी की ओर से विनम्र निवेदन है कि :--

1. यहकि, सदर अपील माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी ।

डि. रीडर

2. यहकि, सदर अपील दिनांक 24.9.2004 को रिकार्ड तलब किये जाने बाबद नियत थी । अपील में अपीलार्थी की ओर से श्री सचिन यादव अपने वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुनील जैन जी के निर्देश पर उपस्थित होते रहे हैं । नियत दिनांक को भी उन्हें माननीय मण्डल के समक्ष उपस्थित होना था किन्तु दिनांक 24.9.2004 को अभिभाषक सचिन यादव स्वास्थ्य खराब होने के कारण माननीय मण्डल के समक्ष प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके और ना ही इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अभिभाषक को दी । चूंकि प्रकरण में पैरवी अभिभाषक के माध्यम से की जा रही है तथा प्रकरण सदर दिनांक को रिकार्ड तलब किये जाने हेतु नियत था अत: स्वयं अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं हो सका परिणाम: अपील अनुपस्थिति में निरस्त की गयी ।

अविरत --- 2-- पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1434—एक / 2004 [फकरूवाई / चंपालाल] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19—1—2016	आवेदकपक्ष अनुपस्थित । रेस्टोरेशन प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक अधिवक्ता रेस्टोरेशन प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद एक पेशी पर उपस्थित हुये हैं उसके बाद वे लगातार नियत पेशियों पर अनुपस्थित है व उनके द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन में मूल प्रकरण का कमांक तथा आवेदक तथा अनावेदक का पता भी प्रस्तुत नहीं किया है । आवेदक द्वारा जिस प्रकरण के विरूद्ध यह रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया है उसकी सत्यप्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गई है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन आवेदन अपूर्ण है । यह रेस्टोरेशन प्रकरण वर्ष 2004 से लंबित है । अतः प्रकरण आवेदकपक्ष की अरूचि के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	